Other Terms & Conditions -

- समस्त प्रेक्षागृह विश्वविद्यालय के आयोजनों या विश्वविद्यालय के सहभाग में होने वाले आयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर निःशुल्क उपयोग किये जा सकेगें। राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक सामाजिक या सांस्कृति संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर निःशुल्क उपयोग किये जा सके।
- विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्रेक्षागृह को आरक्षित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप/डिमांड पत्र भरकर स्वयं का पेन कार्ड/आधार कार्ड/जी.एस.टी./आदि की प्रति संलग्नक कर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करायेगें।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह हेतु बुकिंग की निर्धारित पूर्ण धनराशि को अग्रिम के रूप से बुकिंग के समय चैक/डी0डी0/NEFT के माध्यम से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (Gautam Buddha University) के पक्ष में जमा कराया जाएगा।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह हेतु बुकिंग के सापेक्ष निर्धारित बंधक धनराशि का पृथक चैक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (Gautam Buddha University) के पक्ष में देय, जमा कराना होगा।
- कार्यक्रम आयोजन के पूर्व दिवसों में कार्यक्रम की तैयारी (Preparation) हेतु सम्बन्धित प्रेक्षागृह को उपयोग करने की दशा में प्रेक्षागृह की कुल बुकिंग धनराशि का 25 प्रतिशत अग्रिम रूप में जमा कराना होगा। सम्बन्धित प्रेक्षागृह में तैयारी (Preparation) के दौरान एयर कंडीशन एवं विद्युत कटौती की स्थिति में डी0जी0 की सुविधा उपलब्ध नही होगी।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह में कार्यक्रम के दौरान विद्युत कटौती की स्थिति में डी0जी0 के सापेक्ष निर्धारित दरों के अनुसार, डी0जी0 चार्ज प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त देय होगा।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह में कार्यक्रम हेतु ऑडियों/विडियों/लाईटिंग आदि के संचालन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार पृथक से चार्ज Outsource Agency के पक्ष में देय होगा।
- समस्त प्रेक्षागृहों में दो शिफ्टों का प्रावधान है, प्रथम शिफ्ट एवं द्वितीय शिफ्ट। प्रत्येक शिफ्ट के लिए 04 घंटे निर्धारित है तथा पूरे दिन हेतु 08 घंटे की शिफ्ट निर्धारित है।
- ग्रीष्मकाल एवं शरदकाल में प्रेक्षागृह का किराया भिन्न–भिन्न निर्धारित है।

- अगर किसी के द्वारा सम्बन्धित प्रेक्षागृह की मांग/अनुरोध कार्यक्रम की तैयारी किये जाने हेतु किया जाता है। इस स्थिति में सम्बन्धित प्रेक्षागृह की कुल बुकिंग धनराशि का 25 प्रतिशत किराया अतिरक्त देय होगा। इसके साथ ही तैयारी हेतु उपयोग किये जाने प्रेक्षागृह में एयर कंडीशन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी तथा विद्युत कटौती की स्थिति में डी०जी० नही चलाया जाएगा।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह में निर्धारित Seating Capacity से 3 प्रतिशत अधिकतम पाया जाता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित बुकिंगकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि से 10 प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी। यदि निर्धारित Seating Capacity से 3 प्रतिशत से अधिक क्षमता पाई जाती है तो उस स्थिति में सम्बन्धित द्वारा जमा की गई बंधक राशि जब्त कर ली जाएगी।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृह परिसर की साफ–सफाई हेतु रू० 5,000.00 की धनराशि बुकिंग धनराशि से अतिरिक्त देय होगी।
- सम्बन्धित द्वारा अपने अनुसार कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने हेतु स्वयं सुरक्षा कर्मी तैनात करेगें।
- सम्बन्धित प्रेक्षागृहों हेतु निर्धारित दरें 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित है एवं समय समय पर सरकार द्वारा जी०एस०टी० (TAX) की दरों में परिवर्तन किये जाने की दशा में परिवर्तित दरें लागू होगीं।
- विश्वविद्यालय के पास प्रेक्षागृह/हॉल की बुकिंग को किसी भी समय निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
- विश्वविद्यालय के समस्त प्रेक्षागृह (Auditorium)/Halls की बुकिंग को सम्बन्धित बुकिंगकर्ता द्वारा निरस्त कराने की स्थिति में निम्नानुसार कटौती की जानी हैः–

A. Booking cancelled one month earlier -	**No charges**
B. Booking cancelled before 15 days -	10% of the entire booking
C. Booking cancelled before 05 days -	15% of the entire booking.
D. Last moment cancellation 02 days -	20% of the entire booking.